राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 685/2014/भीलवाड़ा.
अपील संख्या – 686/2014/भीलवाड़ा.

मैसर्स यूनिक प्रिक्योर्ड रिटेड्रर्स,
भदाली खेड़ा, भीलवाडा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा
2. वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स टैक्स, भीलवाड़ा .....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से

दिनांक : 06/12/2017

निर्णय

यह अपीलें व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत अपील संख्या 126/वैट/12–13 व 44/वैट/रेस्टो/13–14 में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि व्यवहारी द्वारा पुराने टायरों की रिट्रेडिंग के लिये राज्य के बाहर से रबड़ सीट तथा वाइडिंग गम का सी फार्म व घोषणा पत्र 18ए के समर्थन से आयात कर कार्य संविदा निष्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल रबड़ सोल्यूशन जिसको कार्य संविदा में प्रयुक्त किया गया है पर परिवहन खर्च व अन्य व्यय जोड़ते हुये तथा प्रारंभिक स्टॉक को शामिल करते हुये 12 प्रतिशत से कर 15 प्रतिशत से सरचार्ज, ब्याज आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई, अपीलीय प्राधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 20.12.2013 को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके द्वारा निर्देशित किया गया कि वह यह जांच करें कि व्यवहारी द्वारा रिटेड्रिंग में प्रयुक्त करने हेतु आयातित माल का अंतराज्यीय वाणिज्य व्यवहार में परिसंचरण किसी करार (Contract) की अनुपालना में हुआ है या नहीं इसके बाद नियमानुसार आदेश पारित करें।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रकरणों में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 20.12.2013 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 27.03.2014 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 20.12.2013 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 27.03.2014 को कर दिया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **27.03.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। परिणामतः अपीले "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य